

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

अपील संख्या 287 / 2025

रामचन्द्र पुत्र भागुराम, जाति मीणा, पेशी खेती, निवासी ग्राम खटकड़, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू।

---रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 18.08.2025  
न्यायालय तहसीलदार, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र  
अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 146 / 2025


उपस्थित :-

1. श्री महिपाल सिंह कपूरिया, एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, गुढागौड़जी के आदेश दिनांक 18.08.2025 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलान्ट के अनुसार न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू ने अपने निर्णय दिनांकित 31.05.2024 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बरान 864, 1138 किस्म बंजड़, खसरा न. 942, 941 किस्म गैर मुमकिन नदी में से कमशः 1.20 व 0.80 है० तथा 0.50 है० व 0.50 है० कुल 3.00 है० वाके ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड से अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु व 400 रुपये मात्र बतौर शास्ति जुर्माना आरोपित कर निर्णय पारित किया गया था जिसके विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय में एक अपील उनवानी रामचन्द्र बनाम तहसीलदार पेश की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू ने अपने निर्णय दिनांक 07.03.2025 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 31.05.2024 को निरसत कर पत्रावली में साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया था। जिसमें अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु व शास्ति जुर्माना आरोपित कर निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ये अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। उक्त प्रकरण रिमाण्ड होकर न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में दिनांक 19.03.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु.नं. 252 / 2025 दर्ज हुए। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलेक्टर झुंझुनू के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी में स्थानान्तरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 24.05.2025 वास्ते तामील हेतु नियत थी जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.05.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली योग्य अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 15.05.2025 को आगामी पेशी 19.05.2025 नियत की गई जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्ट ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट को अवसर दिया गया परन्तु

  
जिला कलेक्टर झुंझुनू

अपीलान्त उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्त उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को ना तो सबूत पेश करने का अवसर दिया व ना ही अपीलान्त की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्त की साक्ष्य बंद किये बिना ही अपीलान्त की गैर मौजूदगी में अपीलान्त को बिना सुने दिनांक 18.08.2025 अपीलान्त के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्त न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नम्बर से अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त अराजियात भूमि खसरा नम्बरान 864, 1138 किस्म बंजड़, खसरा न. 942, 941 किस्म गैर मुमकिन नदी है जिन पर अपीलान्त का कदीम व पुराना कब्जा है जिसकी बाबत राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत अपीलान्त के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्त ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्त/गैरसायल के हक में नियमन का है इसके बावजूद योग्य अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्त/गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्त गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर उक्त आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्त किए जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर योग्य अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त प्रकरण में विवादित खसरा नं. 864, 1138 के सम्बन्ध में एक दावा उनवानी सांवता आदि बनाम तहसीलदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में विचाराधीन है जिसके मु.नं. 182/2017 है। उक्त प्रकरण में अपीलान्त ने एक प्रार्थना दिनांक 18.01.2019 को अ. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बनने हेतु पेश किया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्त का परिवर्तनशील सर्वत 2045 से पुराना कब्जा व हित निहित मानते हुए व दस्तावेजों के आधार पर पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2019 स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फीया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्त को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्त को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्त को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांक 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाईल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एकट मु.नं. 146/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावे व वादग्रस्त आराजियात व नियमन अपीलान्त के हक में किया जाना फरमावे।

  
जिला कलक्टर झुंझुनूं

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण रिमाण्ड होकर न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में दिनांक 19.03.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु.नं. 252/2025 दर्ज हुए। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 24.05.2025 वास्ते तामील हेतु नियत थी जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.05.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली योग्य अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 15.05.2025 को आगामी पेशी 19.05.2025 नियत की गई जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्त ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्त उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्त को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्त उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को ना तो सबूत पेश करने का अवसर दिया व ना ही अपीलान्त की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्त की साक्ष्य बंद किये बिना ही अपीलान्त की गैर मौजूदगी में अपीलान्त को बिना सुने दिनांक 18.08.2025 अपीलान्त के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्त न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नम्बर से अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेंट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात भूमि खसरा नम्बरान 864, 1138 किस्म बंजड़, खसरा न. 942, 941 किस्म गैर मुमकिन नदी है जिन पर अपीलान्त का कदीम व पुराना कब्जा है जिसकी बाबत् राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत् अपीलान्त के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्त ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्त/गैरसायल के हक में नियमन का है इसके बावजूद योग्य अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्त/गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्त गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर उक्त आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्त किए जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर योग्य अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त प्रकरण में विवादित खसरा नं. 864, 1138 के सम्बन्ध में एक दावा उनवानी सांवता आदि बनाम तहसीलदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में विचाराधीन है जिसके मु.नं. 182/2017 है। उक्त प्रकरण में अपीलान्त ने एक प्रार्थना दिनांक 18.01.2019 को अ. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बनने हेतु पेश किया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्त का परिवर्तनशील सवत् 2045 से पुराना कब्जा व हित निहित मानते हुए व दस्तावेजों के आधार पर पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2019 स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फीया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्त को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्त को उनके हक में अदालत मातहत


  
जिला कलक्टर झुंझुनूं

में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्त को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांक 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाईल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 146/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावें व वादग्रस्त आराजियात व नियमन अपीलान्त के हक में किया जाना फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त ने ग्राम खटकड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 864, 1138 किस्म बंजड़-2 व खसरा नम्बर 942, 941 किस्म गैर मुमकीन नदी में से क्रमशः 1.20 हैक्टर व 0.80 हैक्टर तथा 0.50 हैक्टर व 0.50 हैक्टर कुल 3.00 हैक्टर भूमि पर फसल काशत कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्त ने गैर मुमकीन नदी की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्त का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्त की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्त को ग्राम खटकड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 864, 1138 किस्म बंजड़-2 व खसरा नम्बर 942, 941 किस्म गैर मुमकीन नदी में से क्रमशः 1.20 हैक्टर व 0.80 हैक्टर तथा 0.50 हैक्टर व 0.50 हैक्टर कुल 3.00 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अदालत मातहत ने अपीलान्त को सुनकर मैरिट पर निर्णय किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन नदी है, जिसकी नियमन की सिफारिश करना विधि अनूकूल नहीं है। अतः अपीलान्त की अपील सारहीन होने से अपील खारिज की जाती है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
जि(नॉकअकण झुंझुनूं)  
जिला कलक्टर, झुंझुनूं